न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 25/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/47

निर्णय दिनांकः 14.8.2025

1. ताराचन्द पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
3. घासीराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी तैतलीनगर मैलासी तहसील धोद जिला सीकर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. बजरंगलाल पुत्र गोपालराम जाति ब्राहम्ण निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल सारस्वत अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री सुखदेवप्रसाद व्यास अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.12.2021 के द्वारा खेत खसरा नम्बर 1426/356 तादादी 0.4000 हैक्टेयर बारानी सम्पूर्ण व खेत खसरा नम्बर 1427/356 तादादी 9.7500 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में से उत्तरी–पूर्वी तरफ से तादादी 2.1300 हैक्टेयर कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 से खरीद की थी जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल दर्ज हुआ। उक्त खेत खसरा नम्बर 1427/356 में प्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर 2223/1427 कायम हुये। प्रार्थी संख्या 3 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.12.2021 के द्वारा खेत खसरा नम्बर 1427/356 तादादी 9.7500 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में से उत्तरी–पश्चिमी तरफ से तादादी 2.5300 हैक्टेयर कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 से खरीद की थी जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल दर्ज हुआ। उक्त खेत खसरा नम्बर 1427/356 में प्रार्थी संख्या 3 द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर 2222/1427 कायम हुये व अप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 1427/356 में से शेष भूमि तादादी 5.0900 हैक्टेयर कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर 2224/1427 कायम हुये। वादगत खेत 1427/356 तादादी 9.7500 हैक्टेयर के तीन नये खसरे 2222/1427 तादादी 2.5300 हैक्टेयर, 2223/1427 तादादी 2.1300 हैक्टेयर व 2224/1427 तादादी 5.0900 हैक्टेयर कायम हुये। उपरोक्तानुसार तीन खातो की जमाबन्दी कायम हुयी जो सही कायम हुई। वादगत खेत खसरा नम्बर नया 2222/1427 व खसरा नम्बर नया 2223/1427 व खसरा नम्बर नया 2224/1427 के राजस्व नक्शा में तरमीम करते समय खसरा नम्बर नया 2223/1427 मूल खसरा नम्बर 1427/356 में पूर्वी तरफ प्रार्थी संख्या 1 व 2 की खरीद की गई भूमि का राजस्व नक्शा में अंकन कर दिया गया जो गलत अंकन किया गया। प्रार्थी संख्या 1 व 2 ने खेत मूल खसरा नम्बर 1427/356 में से उत्तरी–पूर्वी भूमि खरीद की थी राजस्व नक्शा में खेत मूल खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:28:13 IST
Reason: SelfAttested

1427/356 में उत्तरी–पूर्वी भूमि का अंकन होना चाहिये था। प्रार्थी संख्या 1 व 2 का मूल खसरा नम्वर 1427/356 में उत्तरी–पूर्वी तरफ कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर नया 2222/1427 व खसरा नम्बर नया 2223/1427 व खसरा नम्बर नया 2224/1427 के राजस्व नक्शा में तरमीम करते समय खसरा नम्बर नया 2222/1427 मूल खसरा नम्बर 1427/356 में उत्तरी तरफ प्रार्थी संख्या 3 की खरीद की गई भूमि का राजस्व नक्शा में अंकन कर दिया गया जो गलत अंकन किया गया। प्रार्थी संख्या 3 ने खेत मूल खसरा नम्बर 1427/356 में से उत्तरी–पश्चिमी भूमि खरीद की थी राजस्व नक्शा में खेत मूल खसरा नम्बर 1427/356 में उत्तरी–पश्चिमी भूमि का मूल खसरा नम्बर का अंकन होना चाहिये था। प्रार्थी संख्या 3 1427/356 में उत्तरी–पश्चिमी तरफ कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर नया 2222/1427 व खसरा नम्बर नया 2223/1427 वं खसरा नम्बर नया 2224/1427 के राजस्व नक्शा में तरमीम करते समय खसरा नम्बर नया 2224/1427 मूल खसरा नम्बर 1427/356 में दक्षिणी–पश्चिमी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 की शेष भूमि का राजस्व नक्शा में अंकन कर दिया गया जो गलत अंकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की शेष भूमि मूल खसरा नम्बर 1427/356 में से दक्षिणी तरफ की भूमि थी । राजस्व नक्शा में खेत मूल खसरा नम्बर 1427/356 में दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर नया 2224/1427 का अंकन होना चाहिये था। अप्रार्थी संख्या 2 का मूल खसरा नम्बर 1427/356 में दक्षिणी तरफ कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.12.2021 के अनुसार खरीद की गई भूमि व अप्रार्थी संख्या 2 की शेष भूमि का नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा हैं। जो इस प्रार्थना पत्र का भाग माना जायेगा। नजरी नक्शा मे वर्णितानुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 का वादगत खेत में कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण को माह अक्टूबर 2024 में अपने उपरोक्त वादगत खेतो पर ऋण लेने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थीगण ने वादगत खेतो की जमाबन्दी व नक्शे की नकल निकलायी तो प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ की राजस्व नक्शा तरमीम गलत हुई हैं फिर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्व नक्शा में भूलवंश हुई अशुद्धि को सुधारने के लिये कई बार निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 2 आजकल आजकल कहकर टिलाता रहा। दिनांक 31.01.2025 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्व नक्शा में भूलवंश हुई अशुद्धि को सुधारने के लिये निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 2 इन्कार हो गया फिर प्रार्थी ने दिनांक 03.02.2025 को प्रार्थीगण तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से राजस्व नक्शा में हुई अशुद्धि को सही करने के लिये निवेदन किया तो तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आओ तभी हम आपके राजस्व नक्शा को सही करेंगे अन्यथा नहीं इसलिये प्रार्थीगण वादगत खेत के राजस्व नक्शा में शुद्धि करने हेतू श्रीमान्जी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नही हैं । वादगत खेत रोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का हैं जो जानकारी के अन्दरमियाद पूर्ण कोर्ट फीस में पेश हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती हेतू पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार फरमाया जावे कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर नया 2223/1427 तादादी 2.5300 हैक्टेयर रोही शेरूणा व प्रार्थी संख्या 3 के खेत खसरा नम्बर 2222/1427 तादादी 2.5300 हैक्टेयर रोही शेरूणा व अप्रार्थी संख्या 2 के खेत

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:28:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खसरा 2224/1427 तादादी 5.0900 हैक्टेयर रोही शेरूणा के राजस्व नक्शा में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.12.2021 के आधार पर प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम कर राजस्व नक्शा को दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को देने की कृपा करे ।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 2223/1427 तादादी 2.1300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2222/1427 तादादी 2.5300 हैक्टेयर, व खेत खसरा नंबर 2224/1427 तादादी 5.0900 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा की तरमीम तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ हल्का पटवारी की रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका में वर्णित मौका स्थिति के अनुसार कर राजस्व नक्शा को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 18.8.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:28:13 IST
Reason: SelfAttested